



09090 /13

प्रस्तुति दि. 9/10/13

माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 खण्डपीठ इंदौरम0प्र0

R-1145-11/13

दिनांक 28/10/13
अभिधान इकाई 28
5/10/13
28-10-13

बी. उमेश कौशल
प्रार्थी/अभिधान इकाई र. दिनांक 09-10-2013
को प्रस्तुत ✓

अधीक्षक

770/0910-2013

1. श्री ओमप्रकाश पिता मांगीलाल
आयु 59 साल धंधा कृषि
निवासी - ग्राम आंबाचंदन तह0 महु
जिला इंदौर

2. सत्यनारायण पिता मांगीलाल
आयु 52 साल धंधा कृषि
निवासी - ग्राम आंबाचंदन तह0 महु
जिला इंदौर

.. प्राथीगिर्ण/रिवीजनकत गिण

7-11-13

विरुद्ध

1. श्री जानीबाई पति मोहनलाल
आयु 75साल धंधा गृहकार्य
निवासी शर्मा कॉलोनी तहसील के सामने
महुगांव तह0 महु जिला इंदौर

2. गिरजाबाई पति चन्द्रशेखर
आयु 50 साल धंधा गृहकार्य
निवासी विजयनगर कृषि थाने के पीछे
इंदौर म0प्र0

3. सीताबाई पति नंदकिशोर
आयु 54 साल धंधा गृहकार्य
निवासी - बेटमा तह. देमालपुर जिला इंदौर

अ

अ.पी. विद्या

4। प्रेमनारायण पिता मांगीलाल
आयु 62 साल धंधा कृषि
निवासी- ग्राम आंबाचंदन तह0 महु
जिला इंदौर म0प्र0

..प्रत्याधीगण/रिस्प10

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

प्रार्थीगण/अपीलान्ट की ओर से सादर निवेदन है कि :-

यह निगरानी प्रार्थीगण के द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार डॉ0 अबिडकरनगर
महु जिला इंदौर म0प्र0 पीठासीन अधिकारी सुश्री निधि वर्मा के द्वारा
राजस्व प्र.क्र. 483 27/10-11 जानीबाई वि0 नंदीबाई में पारित
आदेश दि. 11.7.2013 से ब्यथित होकर निम्न व अनेकानेक आधारों
पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है ।



20.10.2015	<p>अविरकगण की ओर से श्री विनोद युग-धी आभेभाषक उपाध्यत/ ग्राह्यता पर सुना गया। नाग्रव तक्ष्मीनडा डारा उस निष्कर्ष के साथ कि आवेदक द्वारा स्वत्व के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अर्थव्यवस्था प्रतीत नहीं होती। फवस्वस्व विगदारी आधातही होने से अग्रद्वय भी जाती है।</p>	<p>विनोद युग-धी</p>
------------	---	---------------------

[क. प. उ.]

अध्यक्ष